

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2021

विषय:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन 5.0586 हे0 से अधिक भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किये जाने से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन 5.0586 हे0 से अधिक भूमि का संक्रमण प्रतिबन्धित है तथा राजस्व संहिता की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन जनहित में विकास एवं अन्य योजनाओं/परियोजनाओं के लिए विहित सीमा (5.0586 हे0) से अधिक भूमि के संक्रमण हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व अनुमति दिए जाने का प्राविधान है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2164/79-वि-1-20-2(क) 24/2020, दिनांक 28.12.2020 तथा अधिसूचना संख्या-382/79-वि-1-21-1-क-21, दिनांक 05 मार्च, 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में संशोधन किया गया है, जिसमें धारा 89 की उपधारा (3) में संशोधन करते हुए निम्नवत् व्यवस्था की गई है :-

“परन्तु यह कि जहाँ भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या पूर्ण संस्था द्वारा इस उपधारा, या निरसन के पूर्व यथा अधिनियमित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा क्रय की गयी हो, वहाँ राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी किसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत की दस प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा क्रय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती/सकता है।

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

के लिये किया गया है वहाँ वह ऐसे किसी अंतरिती को इस उपधारा के अधीन जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान कर सकती है।”

3. उपरोक्त के दृष्टिगत राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-1577/एक-1-2020- रा0-1, दिनांक 30.12.2020 को अतिक्रमित करते हुए बिना पूर्व अनुमति के 5.0586 हे0 से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण/कार्योत्तर स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है :-

- (1) सम्बन्धित व्यक्ति/समिति/संस्था/उद्योग/कम्पनी द्वारा 5.0586 हे0 से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण हेतु शासन में राजस्व विभाग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि से सम्बन्धित यथावश्यकता विवरण व अभिलेखों सहित प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा।
- (3) सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि के विनियमितीकरण हेतु प्रचलित सर्किल दर के अनुसार विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत का 10 प्रतिशत का आगणन के साथ औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन के राजस्व विभाग द्वारा बिना पूर्व अनुमति के क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश/अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- (4) यदि यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये किया गया है, तो राजस्व विभाग द्वारा धारा 89 के उपधारा (3) में निर्धारित जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान करने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश/अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- (5) राजस्व विभाग एक साथ एक से अधिक प्रकरणों पर मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश/अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् औपचारिक आदेश निर्गत किये जायेगा।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।